

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

क्र.-४३७/1128/2022/68

भोपाल, दिनांक 12/04/2023

प्रति,

कलेक्टर,

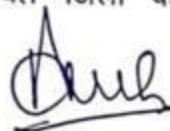
भोपाल, इंदौर, अलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगर-मालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाग, शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगौन मध्यप्रदेश।

विषय:-मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत नियमित विमान सेवा के वायुयान से तीर्थ यात्रा दिनांक 21.05.2023 से 19.07.2023 तक।

—00—

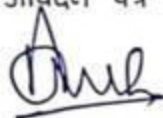
विषयांतर्गत कृपया धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम-2012 एवं इस नियम में समय-समय पर जारी संशोधनों (विभागीय वेबसाइट www.dharmasva.mp.gov.in पर उपलब्ध) का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत नियमित विमान सेवा के वायुयान से मध्यप्रदेश के 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों (जो आयकरदाता नहीं हैं) को प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नाम निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से एक या युग्म तीर्थों की यात्रा कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

1. योजना का क्रियान्वयन IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited), (भारत सरकार का उपक्रम) के द्वारा किया जा रहा है। वायुयान से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की कार्यवाही IRCTC के साथ किये गये अनुबंध तथा IRCTC द्वारा उक्त तीर्थ यात्राओं के लिये प्रस्तुत पैकेज अनुसार की जावेगी। जिस एयरपोर्ट से यात्रा आरंभ होगी उसी एयरपोर्ट पर तीर्थ यात्री वापस लौटेंगे। यात्रियों का चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। चयन के पश्चात् कलेक्टर यात्रियों की एक-एक सूची संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अपर वेसमेंट, वी विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल तथा IRCTC के पर्यावास भवन, भोपाल स्थित कार्यालय को उपलब्ध करायेगा। उक्त सूची एवं आनुपंगिक कागजातों को स्थायी अभिलेख के रूप में कलेक्टर द्वारा संधारित किया जावेगा।
2. तीर्थ यात्रियों को वायुयान द्वारा प्रस्थान एयरपोर्ट से लेकर यात्रियों को वापस उसी एयरपोर्ट पर पहुंचाने की जिम्मेदारी IRCTC की रहेगी। तीर्थ स्थान पर यात्रियों को भोजन, नाश्ता एवं चाय आदि IRCTC उपलब्ध करायेगा। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने, वापस एयरपोर्ट में लाने एवं दूर मैनेजर की व्यवस्था भी IRCTC करेगा।
3. वायुयान जिन एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा एवं वापस आवेगा उस एयरपोर्ट तक चयनित तीर्थ यात्रियों को लाने एवं ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जावेगी।



नाश्ता/(इई) लंच पेकेट एवं मिनरल वाटर की बॉटल (500 ml) की व्यवस्था भी जिला कलेक्टर द्वारा यात्रा में रवाना होने के साथ ही की जावेगी साथ ही तीर्थ यात्रा से वापसी में एयरपोर्ट से बाहर आने पर वापस जिले की यात्रा में भोजन/नाश्ते, मिनरल वाटर इत्यादि की व्यवस्था भी आवश्यकतानुसार संबंधित जिले द्वारा की जावेगी। एयरपोर्ट एवं वायुयान में भोजन/नाश्ता इत्यादि की पृथक से कोई व्यवस्था IRCTC द्वारा नहीं की जावेगी। यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा तौलिया, साबुन, कंघा, आवश्यक दवाईयां, दाढ़ी बनाने का सामान आदि चेक इन बैग में रखें। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कार्ड रखें।

4. यात्री अधिकतम 15 किलोग्राम वजन के चेक-इन बैग (1 नग) और 7 किलोग्राम वजन वाले हैंड बैग, (115 cm आकार के, लम्बाई + चौड़ाई + ऊँचाई) ही ले जा सकते हैं। इस पात्रता से अधिक ले जाने वाले किसी भी सामान पर एयरलाइन द्वारा अतिरिक्त सामान शुल्क लगाया जाएगा, जिसका भुगतान तीर्थ यात्री को एयरपोर्ट पर करना होगा। उड़ान के दौरान यात्रा करने के संबंध में एयरलाइन के नियम और शर्तें लागू होंगी।
5. प्रत्येक वायुयान में कुल 33 सीटें उपलब्ध रहेगी। इन सीटों के विरुद्ध प्रत्येक जिले से 32 तीर्थ यात्रियों एवं 01 अनुरक्षक (एस्कॉर्ट) के रूप में शासकीय अधिकारी को भेजा जाना है। आईआरसीटीसी द्वारा नियत एक टूर मैनेजर भी तीर्थयात्रियों के साथ यात्रा करेगा।
6. यात्रियों का चयन एवं पात्रता संबंधी शर्तें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना नियम 2012 एवं उसमें समय समय पर जारी संशोधनों के अनुसार ही रहेगी, लेकिन वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा के लिये प्रथम चरण में केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकेंगे, परंतु यात्रा में उन्हें सहायक की पात्रता नहीं रहेगी।
7. अधिकतम परिवारों तक वायुयान द्वारा तीर्थ यात्रा का लाभ पहुंचाए जाने की दृष्टि से प्रथमतः एक परिवार से एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। पति-पत्नी दोनों या समूह में आवेदन की पात्रता नहीं रहेगी।
8. जिला कलेक्टर योजना का प्रचार-प्रसार स्थानीय अखबारों/समाचार माध्यमों में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करेंगे। उक्त आवेदन निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित अन्य विज्ञप्ति स्थानों पर जमा किये जा सकेंगे।
9. यदि जिले को आवंटित निर्धारित कोटा (32 यात्रियों) से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यात्रियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी से किया जाये।
10. आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा दिनांक से 15 दिवस पूर्व एयर टिकट जारी किये जावेंगे, तथा जिला कलेक्टर द्वारा कंडिका-11 (i) अनुसार प्रेषित नामों में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
11. कलेक्टर्स एवं प्रबंधक, IRCTC को निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं इनका पालन करना सुनिश्चित करें:-
 - (i) समस्त कलेक्टर्स मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यात्रा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें किसी भी स्थिति में निर्धारित कोटे से कम अथवा ज्यादा तीर्थ यात्रियों का अंतिम चयन नहीं होना चाहिए। जिले द्वारा सुविधानुसार संलग्न आवेदन पत्र निर्धारित यात्रा से पर्याप्त



समय पूर्व प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये। तीर्थ यात्रियों की निर्धारित पात्रता का परीक्षण किया जाये तथा यात्रा से 25 दिवस पूर्व चयनित यात्रियों की आधार कार्ड की प्रति संलग्न करते हुए आधार कार्ड के नाम आधारित सूची संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना एवं प्रबंधक, IRCTC को उपलब्ध कराई जाये ताकि तीर्थ यात्रियों के टिकट बनवाने में असुविधा न हो।

- (ii) जिला कलेक्टर एवं प्रबंधक IRCTC यह सुनिश्चित करें कि यात्रा की तिथि व समय पर संबंधित जिले के तीर्थ यात्री संबंधित एयरपोर्ट पर वायुयान के Departure Time से 03 घंटे पूर्व में पहुँच जाये, ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो तथा उनकी समय पर बोर्डिंग सुनिश्चित हो सके।
- (iii) IRCTC द्वारा तीर्थ यात्रियों को गंतव्य स्थान पर उत्तम गुणवत्ता का भोजन, नाश्ता एवं शुद्ध पेयजल (कम से कम 2 मिनरल वाटर की बोतलें प्रतिदिन) उपलब्ध कराया जाये एवं अन्य व्यवस्थाएं IRCTC द्वारा दी गई Itinerary के अनुरूप हो।
- (iv) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जाने वाले अनुरक्षक वायुयान के प्रस्थान होने के उपरांत प्रति चार घंटे बाद तीर्थ यात्रियों की कुशलता के संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिले के नोडल अधिकारी, कार्यालय संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को अवगत कराएंगे।

12. संबंधित कलेक्टर तीर्थ यात्रियों की आधार कार्ड की प्रति संलग्न करते हुए आधार कार्ड के नाम आधारित सूची एवं अनुरक्षक की जानकारी (नाम, पदनाम, आधार कार्ड की प्रति एवं वॉट्सऐप मोबाईल नंबर) (Hardcopy एवं Softcopy in MS-Excel format) संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ई-मेल dndvmp@gmail.com अपर वेसमैंट सतपुड़ा भवन पर एवं अपर महाप्रबंधक (पर्यटन) IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल ई-मेल iretc.bpl@gmail.com पर भी उपलब्ध कराएंगे। तीर्थ यात्रियों की एक सूची संबंधित संभागायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। कलेक्टर चयनित तीर्थ यात्रियों को वायुयान प्रस्थान की तिथि, समय एवं स्थान से अवगत करायेंगे एवं एयरपोर्ट तक लाने/वापस ले जाने की व्यवस्था भी करेंगे। IRCTC तीर्थ यात्रियों की यात्रावार अभिप्रमाणित सूची विभाग को उपलब्ध कराई जावेगी।

अधिक जानकारी के लिये संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व कार्यालय के दूरभाष नं. 0755-2767116 तथा ई-मेल dndvmp@gmail.com, dharmasva.mantralaya@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की वेबसाइट www.dharmasva.mp.gov.in से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित आदेश, नियम, परिपत्र तथा आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं। IRCTC के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर 0755-4057982, श्री पंकज तिवारी, मुख्य पर्यवेक्षक, मो.नं. 8287931726 एवं श्री कृष्ण कुमार सिंह, अपर महाप्रबंधक का मो.नं. 8287931607.

13. यात्रियों को यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक है।



14. यात्रा कार्यक्रम:-

क्र.	यात्रा दिनांक	दिन	जिसे	तीर्थ स्थान	यात्रा अवधि	प्रारम्भिक एयरपोर्ट	संलयन एयरपोर्ट	यात्रा मार्ग
1	21.05.23	रविवार	भोपाल	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
2	23.05.23	मंगलवार	आगरा भातवा	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
3	25.05.23	गुरुवार	वैतूल	मथुरा-वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृन्दावन (Via-Agra Airport)
4	26.05.23	शुक्रवार	देवास	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
5	03.06.23	शनिवार	खंडवा	गंगासागर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगासागर (Via-Kolkata Airport)
6	04.06.23	रविवार	हरदा	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
7	06.06.23	मंगलवार	मंदसौर	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
8	08.06.23	गुरुवार	नर्मदापुरम	मथुरा-वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृन्दावन (Via-Agra Airport)
9	09.06.23	शुक्रवार	नीमच	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
10	15.06.23	गुरुवार	बडवानी	गंगासागर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगासागर (Via-Kolkata Airport)
11	16.06.23	शुक्रवार	इंदौर	गंगासागर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगासागर (Via-Kolkata Airport)
12	18.06.23	रविवार	दमोह	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
13	19.06.23	सोमवार	बुरहानपुर	गंगासागर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगासागर (Via-Kolkata Airport)
14	19.06.23	सोमवार	रतलाम	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
15	20.06.23	मंगलवार	शाजापुर	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
16	22.06.23	गुरुवार	गागर	मथुरा-वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृन्दावन (Via-Agra Airport)

17	23.06.23	शुक्रवार	खरगोन	गंगागामर	3 रात 4 दिन	इंदौर	कलकत्ता	गंगागामर (Via-Kolkata Airport)
18	23.06.23	शुक्रवार	उज्जैन	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
19	02.07.23	रविवार	चिदिशा	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
20	03.07.23	सोमवार	अलीराजपुर	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
21	04.07.23	मंगलवार	राजगढ़	मथुरा-वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृन्दावन (Via-Agra Airport)
22	06.07.23	गुरुवार	सीहोर	मथुरा-वृन्दावन	2 रात 3 दिन	भोपाल	आगरा	मथुरा-वृन्दावन (Via-Agra Airport)
23	07.07.23	शुक्रवार	धार	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)
24	16.07.23	रविवार	रायसेन	प्रयागराज	1 रात 2 दिन	भोपाल	प्रयागराज	प्रयागराज (Direct)
25	19.07.23	बुधवार	झाबुआ	शिर्डी	1 रात 2 दिन	इंदौर	शिर्डी	शिर्डी (Direct)

(तीर्थ यात्रा हेतु फ्लाइट शेड्यूल संबंधित जिलों को आईआरसीटीसी द्वारा एयर टिकट के साथ उपलब्ध कराया जावेगा।)

15- कृपया उपरोक्तानुसार आवेदन आमंत्रित कर हवाई यात्रा के जारी दिशा निर्देश के तहत समय सीमा को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- आवेदन पत्र का प्रारूप

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार


(पूष्पा कुलेश)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग